प्रभुलाल बनाम रामपत 2014/00077

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियल जज
	29-9-2021 पत्रावली पेश हुई/वकील ~~वादी/प्रतिवादी~~/ ~~अपीलार्थी/रेस्पोन्डेन्ट/प्रार्थी/अप्रार्थी~~/उभयपक्ष उपस्थित है/~~अनुपस्थित है~~। श्रीमान् पीठासीन अधिकारी ~~भ्रमण पर है~~/अवकाश पर है/~~अन्य कार्यो में व्यस्त है/का स्थानांतरण हो गया है~~। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 27-10-2021 को पेश हो। रीडर
27-10-21	वकील उभयपक्ष उप० बहस बाकी पत्रावली दि० 1-12-21 को पेश हो।
1-12-21	वकील उभयपक्ष उप० बाकि बहस पत्रावली दिo 21-12-21 को पेश हो
21-12-21	पत्रावली पेश हुई/वकील ~~वादी/प्रतिवादी~~/ ~~अपीलार्थी/रेस्पोन्डेन्ट/प्रार्थी/अप्रार्थी~~/उभयपक्ष उपस्थित हैं/~~अनुपस्थित~~ है। श्रीमान् पीठासीन अधिकारी ~~भ्रमण पर~~ है/अवकाश पर हैं/~~अन्य कार्यो में व्यस्त है/का स्थानांतरण हो गया है~~। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 11-1-2022 को पेश हो। रीडर
11-1-2022	वकील उभयपक्ष उप० बहस सुनी गई। वास्ते निर्णय पत्रावली दि० 31-1-2022 को पेश हो।
31-1-2022	वकील उभयपक्ष उप० अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर पत्रावली में शामिल किया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी (स०मा०)

निर्णय न्यायालय श्री अनिल कुमार चौधरी, आर0ए0एस0, उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
9/2004	2.08.2004	31-1-2022

प्रभूलाल पुत्र मांगीलाल, ब्राह्मण नि. रामगढ मुराडा तह0 गंगापुर (मृतक)
1/1 देवक्या पुत्र प्रभूलाल, ब्राह्मण निवासी रामगढ मुराडा तह0 गंगापुर
1/2 सुरेश पुत्र प्रभूलाल, ब्राह्मण निवासी रामगढ मुराडा तह0 गंगापुर
1/3 कमलेश पुत्र प्रभूलाल, ब्राह्मण निवासी रामगढ मुराडा तह0 गंगापुर
1/4 रामावतार पुत्र प्रभूलाल, ब्राह्मण निवासी रामगढ मुराडा तह0 गंगापुर
1/5 कैलाश पुत्र प्रभूलाल, ब्राह्मण निवासी रामगढ मुराडा तह0 गंगापुर
1/6 श्याम पुत्र प्रभूलाल, ब्राह्मण निवासी रामगढ मुराडा तह0 गंगापुर
1/7 गवरी पुत्री प्रभूलाल पत्नी रामकिशोर, ब्राह्मण निवासी बहतेड तह0 मलारना डूँगर
——अपीलार्थीगण

बनाम

1. गणपत पुत्र मांगीलाल, ब्राह्मण निवासी रामगढ मुराडा (मृतक)
1/1 संतरा बेबा गणपतलाल, ब्राह्मण निवासी रामगढ मुराडा
1/2 हेमलता पुत्री गणपत पत्नी प्रदीप कुमार, ब्राह्मण निवासी लालसोट
1/3 वेदप्रकाश पुत्र गणपतलाल, ब्राह्मण निवासी रामगढ मुराडा
1/4 अनीता पुत्री गणपत पत्नी राजेश कुमार, ब्राह्मण निवासी पिपलाई
1/5 रेखा पुत्री गणपत पत्नी संजय, ब्राह्मण निवासी पिपलाई
1/6 राजकुमार पुत्री गणपत, ब्राह्मण निवासी रामगढ मुराडा
1/7 प्रियंका पुत्री गणपत, ब्राह्मण निवासी रामगढ मुराडा
2. दामोदर पुत्र मांगीलाल, ब्राह्मण निवासी रामगढ मुराडा
3. बाबूलाल पुत्र मांगीलाल, ब्राह्मण निवासी रामगढ मुराडा
4. सम्पत पुत्र मांगीलाल, ब्राह्मण निवासी रामगढ मुराडा
5. गोपाल दत्तक पुत्र हजारी, ब्राह्मण निवासी रामगढ मुराडा
6. मुंशी पुत्र मांगीलाल, ब्राह्मण निवासी रामगढ मुराडा
7. सरपंच ग्राम पंचायत खेडाबाढ रामगढ तह0 गंगापुर सिटी ——रेस्पोन्डेन्ट्स

अपील विरूद्ध निर्णय व आदेश नामान्तकरण संख्या 122 दिनांक 20.7.90 ग्राम पंचायत खेडाबाढ रामगढ तह0 गंगापुर सिटी

उपस्थित :— श्री महेश चंद अग्रवाल, एडवोकेट, अपीलार्थीगणकी ओर से
श्री नवल किशोर गुप्ता, एडवोकेट, रेस्पोडेन्टस की ओर से

कलेक्टर
(स०मा०)

निर्णय

अपीलार्थीगण ने अपील इस आशय की पेश की है कि निर्णय व आदेश बाबत तस्दीक करने नामान्तकरण संख्या 122 दिनांक 20.7.1990 सरपंच ग्राम पंचायत खेडाबाढरामगढ विधि विरूद्ध व तथ्यों के विपरित है जो निरस्त किये जाने योग्य है। विद्वान अधीनस्थ ग्राम पंचायत के सरपंच ने मृतक मांगीलाल पुत्र शंकर ब्राह्मण निवासी रामगढ मुराडा के मरने के पश्चात नामान्तकरण संख्या 122 बहक प्रभूलाल, गणपतलाल, दामोदर, मुंशी, बाबूलाल, सम्पत पिसरान मांगीलाल हिस्सा 6/7 गोपाल दत्तक पुत्र हजारी हिस्सा 1/7 के नाम तस्दीक करने मे कानूनी भूल की है। ग्राम पंचायत ने इस तथ्य पर गौर नही फरमाया कि मृतक हजारी लाऔलाद फौत हो गया था ओर उसने गोपाल को गोद नही लिया और इसके बाद भी बिना किसी दस्तावेजी सबूत के और बिना किसी साक्ष्य के गोपाल दत्तक पुत्र हजारी के नाम बहिस्सा 1/7 आराजी के बाबत नामान्तकरण तस्दीक करने मे कानूनी भूल की है। ग्रम पंचायत ने इस तथ्य पर भी गौर नही फरमाया कि दामोदर, घूडमल ब्राह्मण के गोद चला गया था और उसका मांगीलाल की छोडी हुई चल व अचल सम्पत्ति मे किसी प्रकार का कोई अधिकार नही रहा था। इसके बाद भी मांगीलाल की छोडी हुई आराजीयात का नामान्तकरण बहक दामोदर पुत्र मांगीलाल तस्दीक करने मे कानूनी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय ने कब्जे की वास्तविक स्थिति की जॉच किये बिना ही नामान्तकरण तस्दीक करने मे कानूनी भूल की है। मांगीलाल पुत्र शंकर ब्राह्मण के वारिसान का प्रमाण पत्र स्वयं सरपंच ने ही दिया है और सरपंच ने नामान्तकरण तस्दीक किया है जो कानूनन गलत है। नामान्तकरण मजमे आम मे नही भरा गया है एवं नामान्तकरण भरने से पूर्व अपीलार्थी को किसी प्रकार का कोई नोटिस नही दिया गया है। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर नामान्तकरण संख्या 122 दिनांक 20.7.1990 ग्राम पंचायत खेडाबाढरामगढ निरस्त फरमाया जावे एवं नामान्तकरण अपीलार्थी तथा गणपत, बाबूलाल, सम्पत व मुंशी के नाम बहिस्सा बरावर 1/5–1/5 तस्दीक किये जाने की आज्ञा प्रदान करे।

अपील के साथ अपीलार्थी ने अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 122 दिनांक 20.7.1990 की सत्यप्रतिलिपि प्रस्तुत की है। इसके अतिरिक्त अपीलार्थी की ओर से दिनांक 1.6.2009 को दावा उनवानी दामोदर बनाम प्रभू वगैरा न्यायालय उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी, दावा संख्या 113/99 की प्रमाणित प्रतिलिपि भी प्रस्तुत की है।

जिला कलेक्टर
गापुर सिटी (स०मा०)

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्ट्स को तलब किया गया। एवं मूल नामान्तकरण मंगवाया गया। मूल नामान्तकरण प्राप्त होकर पत्रावली के साथ संलग्न है।

अप्रार्थी संख्या 1/1 से 1/7 एवं 7 बाबजूद सूचना उपस्थित नही हुए। अप्रार्थी संख्या 2 ता 6 की ओर से उनके अभिभाषक उपस्थित हुए।

बहस विद्वान वकील उभयपक्ष सुनी गई।

अपीलार्थी के विद्वान वकील ने अपनी अपील के अनुरूप बहस करते हुए कहा कि मांगीलाल पुत्र शंकर ब्राह्मण की मृत्यु के बाद उसकी विरासत का नामान्तकरण संख्या 122 दिनांक 20.7.1990 को सरपंच ग्राम पंचायत खेडाबाढ रामगढ द्वारा खोला गया। यह नामान्तकरण मांगीलाल के पुत्र प्रभूलाल, गणपत, दामोदर, मुंशी, बाबूलाल, सम्पत हिस्सा 6/7 व गोपाल दत्तक हजारी हि0 1/7 के नाम खोला गया है। जबकि गोपाल को हजारी ने कभी गोद नही लिया। इसका गोदनामा भी कभी रजिस्टर्ड नही हुआ। इसके अलावा दामोदर भी घूडमल के गोद जा चुका है। इसलिए इसके नाम भी नामान्तकरण गलत खोला गया है। वास्तव मे यह नामान्तकरण प्रभूलाल, गणपत, मुंशी, बाबूलाल और सम्पत के नाम 1/5–1/5 हिस्से का खोला जाना चाहिए था। इस प्रकार यह नामान्तकरण कानूनन गलत है। जिसे निरस्त किया जाकर उपरोक्त पॉचों आदमियों के नाम 1/5–1/5 का नामान्तकरण खोला जाना चाहिए था।

रेस्पोन्डेन्ट्स के विद्वान वकील ने अपनी बहस में कहा कि अपीलाधीन नामान्तकरण ग्राम पंचायत ने सही खोला है। वारिसों का प्रमाणिकरण सरपंच ग्राम पंचायत खेडाबाढ रामगढ ने 3.7.90 को किया है। जो मूल नामान्तकरण के साथ संलग्न है। अपील खारिज़ फरमायी जावे।

बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। अपील पत्रावली के साथ संलग्न मूल नामान्तकरण जिल्द मे संलग्न नामान्तकरण संख्या 122 दिनांक 20.7.1990 का अवलोकन किया गया। इस नामान्तकरण पर सरपंच ग्राम पंचायत खेडाबाढ रामगढ की ओर से मांगीलाल के वारिसों का सजरा 3.7.90 को जारी किया गया है जो मूल ही चस्पा है। इस सजरे के मुताबिक मांगीलाल के पुत्र प्रभूलाल, हजारी, गणपत, दामोदर, मुंशी, बाबूलाल, सम्पत बताये गये है। जिसमे हजारी फौत हो चुका है और उसका दत्तक पुत्र गोपाल बताया गया है। विरासत के मामलों मे सामान्तया ग्राम पंचायत की ओर से जारी वारिसान की सूचना के आधार पर नामान्तकरण खोले जाते है। अपीलाधीन नामान्तकरण मे भी ऐसा ही हुआ है। अपीलार्थी ने अपनी अपील मे दामोदर को घूडमल के गोद जाना बताया है

जिला कलेक्टर
सिटी (स०मा०)

परन्तु कोई गोदनामा रजिस्टर्ड अथवा अनरजिस्टर्ड अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत नही किया गया है। इसलिए दामोदर का गोद जाना वर्तमान स्थिति में नही माना जा सकता है। हमारी राय मे विचाराधीन नामान्तकरण पंचायत सही प्रकार तस्दीक किया गया है। फलस्वरूप इसमे किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता हम नही समझते है तथा अपील स्वीकार योग्य नही है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 31-1-2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(अनिल कुमार चौधरी)
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)